छात्र स्थानान्तरण हेतु दिशा–निर्देश

1– समस्त प्रधानाचार्य अपनी–अपनी संस्था में छात्रों को छात्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्ययनरत स्थानान्तरण की श्रेणी में आने वाला कोई भी छात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया से वंचित न रह जाये।

2– समस्त प्रधानाचार्य दिनांक 20–08–2018 तक सीट मेट्रिक्स का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

3– छात्रों को सत्यापित करते समय आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हो तथा बैक पेपर से उत्तीर्ण न किया हो एवं प्रधानाचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि छात्र उन्हीं की संस्था और पाठ्यक्रम का है।

4– छात्रों के प्रतिशत की गणना द्वितीय वर्ष में स्थानान्तरण के लिए छात्र के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर एवं अंतिम वर्ष में स्थानान्तरण के लिए तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के अंकों के प्रतिशत के आधार पर की जायेगी। अतः प्रधानाचार्य छात्रों के अंकों के प्रतिशत की भलीभांति जांच करेंगे। प्रतिशत त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रधानाचार्य की होगी।

5– द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री सम्बन्धित सीटों पर कोई स्थानान्तरण नहीं होना है, केवल अन्तिम वर्ष में लेटरल एन्ट्री से सम्बन्धित सीटों की सूचना अलग से भरी जाये तथा उसमें केवल लेटरल एन्ट्री के छात्रों का स्थानान्तरण होना है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कुल स्वीकृत सीटों में TFW की सीटों को भी जोड़ा जायें। सूचनायें ब्रांच कोड के हिसाब से भरी जायें।